राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

**अपील संख्या: - 886/2018**

| **अपीलार्थी** | **बनाम** | **प्रत्यर्थी** |
|---|---|---|
| प्रताप सिंह<br>कोर्ट कैम्पस, बहरोड, अलवर<br>अलवर , राजस्थान | | राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं<br>अतिरिक्त निदेशक<br>सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता<br>विभाग, जयपुर |

**द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005**

**निर्णय**

**दिनांक : 20-03-2018**

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री भगवान दास सेवानी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 17-4-17 के द्वारा राजस्थान अनुसूचित जाति आयोग के निदेशक द्वारा प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर को जारी पत्र क्रमांक 830 दिनांक 9-2-17 पर निदेशक, प्रा. शिक्षा बीकानेर से प्राप्त कार्यवाही की रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपील विनिश्चयविहीन रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने अपीलोत्तर दिनांक 14-3-18 मय संलग्नक प्रस्तुत किया जिसे अभिलेख पर लिया गया। निवेदन किया कि अपीलार्थी का आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत पत्र दिनांक 16-5-17 से प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर को अंतरित कर अपीलार्थी को संसूचित कर दिया गया था कि वांछित सूचना प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर से प्राप्त करें।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 14-3-18 मय संलग्नक प्रस्तुत किया है, प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की है, से प्रत्यर्थी द्वारा उपरोक्त पैरा संख्या 5 में किये गये कथनों की पुष्टि होती है।

7. पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के सूचना के आवेदन का संबंध प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, बीकानेर से होने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6(3) के अन्तर्गत प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर को

अन्तरित कर दिया गया एवं पत्र दिनांक 16-5-17 तथा 10-10-17 से अपीलार्थी को संसूचित कर दिया गया था। प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अधिनियम-2005 की धारा 19(8)(ए)(ii) के तहत उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर को राज्य लोक सूचना अधिकारी नियुक्त कर निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में अपना विनिश्चिय/सूचना आदेश प्राप्ति के 21 दिवस में पंजीकृत डाक से अधिप्रमाणित एवं हस्ताक्षरित कर प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

8. अस्तु, वर्तमान अपील उपरोक्तानुसार निस्तारित की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष के साथ उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

**(सुरेश चौधरी)**
**मुख्य सूचना आयुक्त**